समक्ष *एस.एस. निज्जर और रणजीत सिंह,* माननीय न्यायमूर्ति

गुरदयाल *सिंह, – याचिकाकर्ता*

बनाम

भारत का खाद्य निगम और अन्य। – प्रतिवादी

C.W.P. नंबर . 2004 का 6162

27 मार्च 2006

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 – प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – नयी दिल्ली में एफसीआई के एक सहायक प्रबंधक की सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित हुआ – सेवानिवृत्ति के आदेश पारित होने के समय याचिकाकर्ता शिमला में तैनात था – याचिकाकर्ता की ड्यूटी से अनुपस्थिति के कारण शिमला में आदेश की तामील नहीं हो सकी – याचिकाकर्ता को उसके स्थायी पते पर आदेश की तामील– क्या स्थायी निवास के आधार और स्थायी निवास स्थान पर नोटिस की सेवा याचिका पर विचार करने के लिए पर्याप्त है – अभिनिर्णित , नहीं – केवल *स्थायी पते के स्थान पर आदेश की* तामील उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के तहत कार्यवायी के किसी भी हिस्से का गठन नहीं करती है – *निवास स्थान पर आदेश की प्राप्ति केवल* कार्यवायी के कारण के आधार पर कार्यवायी का अधिकार देती है – याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है – याचिकाकर्ता को उचित क्षेत्राधिकार वाली अदालत से संपर्क करने की छूट देते हुए याचिका ख़ारिज कर दी गई।

अभिनिर्णित, शुरुवात में याचिकाकर्ता ने केवल अपने निवास ज़िला रोपड़(पंजाब) में होने के आधार पर इस अदालत के क्षेत्राधिकार का इस्तमाल किया था। इस संबंध में, उन्होंने 5 जुलाई 2002 को हुआ स्थायी निवास नया गाँव, चंडीगढ़ में नोटिस की सेवा के तथ्य पर भी भरोसा किया है।तदनुसार, प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका को दायर करने के लिए इस

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए केवल यही दो आधार सुझाए गए हैं। यह विवाद में नहीं है कि 5 जुलाई, 2002 का आक्षेपित आदेश नई दिल्ली में पारित किया गया था और क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई, क्षेत्रीय अधिकारी, शिमला के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा प्रदान करने के लिए भेजा गया था, जैसा कि इस आदेश में निहित समर्थन से देखा जा सकता है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को खारिज करने का आदेश भी नोएडा (यूपी) में पारित किया गया था और याचिकाकर्ता की सेवा के लिए शिमला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का निवास और इस आदेश की तामील ही याचिकाकर्ता के लिए इस अदालत के समक्ष याचिका पर विचार करने का आग्रह करने का कारण रही है।

केवल आदेश की तामील, भले ही ऐसा हो, कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं बन सकता। कार्रवाई का कारण सरकार या प्राधिकरण की कार्रवाई से उत्पन्न होता है, न कि पीड़ित व्यक्ति के निवास से और संचार की प्राप्ति स्वयं कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्यों के बंडल में एक तथ्य का गठन नहीं करती है। अधिक से अधिक, आदेश या संचार की प्राप्ति ही किसी पक्ष को शिकायत की गई कार्रवाई से उत्पन्न कार्रवाई के कारण के आधार पर कार्रवाई का अधिकार देती है। तदनुसार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि नया गांव, चंडीगढ़ या चंडीगढ़ में उसके निवास स्थान पर आदेश की तामील उसे इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का हकदार बनाएगी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, आदेश की सेवा ने उसे केवल 'कार्रवाई का अधिकार' दिया, लेकिन 'कार्रवाई का कारण' नहीं दिया। इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत याचिकाकर्ता को कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा उपार्जित नहीं हुआ है जो उसे इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका को बनाए रखने का अधिकार दे सकता है।

(पैरा 16 और 21)

एस.के. मिधा एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*।

अनिल मल्होत्रा, एडवोकेट, प्रतिवादी *के लिए*।

निर्णय

रणजीत सिंह, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) याचिकाकर्ता-गुरदयाल सिंह सिद्धू, भारतीय खाद्य निगम (संक्षेप में, एफसीआई) में सहायक प्रबंधक ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है और इसी तरह उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के आदेश को भी संलग्न किया गया है। क्रमशः अनुलग्नक पी-1 और पी-11 के रूप में।

(2) गुण-दोष के आधार पर याचिका का विरोध करने के अलावा, प्रतिवादी-एफसीआई ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।

(3) प्रारंभिक आपत्ति के निपटान के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है।

(4) याचिकाकर्ता 14 अप्रैल, 1969 को तकनीकी सहायक ग्रेड-III के रूप में एफसीआई की सेवा में शामिल हुआ। अप्रैल, 1970 में तकनीकी सहायक ग्रेड-II के रूप में पदोन्नत होने के बाद अगस्त, 1971 में तकनीकी सहायक ग्रेड-I के रूप में पदोन्नति के बाद, याचिकाकर्ता दिसंबर, 1984 में सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह 5 जुलाई, 2002 तक उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे, जब वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, - आदेश के अनुसार दिनांक 5 जुलाई. 2002, अनुलग्नक पी-1. याचिका में आगे कहा गया है कि 5 जुलाई, 2002 का आदेश याचिकाकर्ता को उसके स्थायी निवास स्थान नया गांव, पोस्ट ऑफिस सेक्टर 11, चंडीगढ़ में दिया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि एफसीआई में अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान, उन्होंने दक्षता, समर्पण, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया और उन्हें हमेशा उनके वरिष्ठों द्वारा एफसीआई के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे आग्रह किया है कि उसने सेवानिवृत्ति के विवादित आदेश की समीक्षा के लिए विभिन्न उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था और अंततः 29 अक्टूबर, 2003 को उसने विवादित आदेश को रद्द करने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त अभ्यावेदन 12 जनवरी, 2004 को खारिज कर दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि अनुबंध पी 11 पर है। उसने अपने सेवा रिकॉर्ड में

भी इसका उल्लेख किया है, जिसे याचिका के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विस्तार से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी-एफसीआई द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति पर निपटारा किया जा रहा है।

(5) प्रस्ताव की सूचना जारी होने पर, उत्तरदाताओं ने उपस्थित होकर लिखित बयान दाखिल किया है। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा एक अलग लिखित बयान दायर किया गया है, जिसे व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया था। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए पक्षपात के आरोपों से इनकार किया है।

(6) उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 और 6 की ओर से दायर लिखित बयान में, इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को गलत तरीके से लागू किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता एफसीआई, क्षेत्रीय के साथ काम कर रहा था। सेवानिवृत्ति के आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-1 दिनांक 5 जुलाई, 2002 के पारित होने के समय हिमाचल प्रदेश राज्य में कार्यालय, शिमला। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था, - आदेश के तहत दिनांक 20 सितंबर, 2000 और उन्हें शिमला में अपने कर्तव्यों में शामिल होने के लिए उक्त तिथि से अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला में स्थानांतरित करने के आदेश की एक प्रति लिखित बयान के साथ अनुलग्नक आर-एल के रूप में संलग्न की गई है। लिखित बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान रिट याचिका में लगाए गए 5 जुलाई, 2002 के आदेश को याचिकाकर्ता को उसकी पोस्टिंग के स्थान शिमला में भेज दिया गया था। आदेश के साथ 28,275/- रुपये की राशि के लिए एक अकाउंट पेयी चेक भी संलग्न था। जैसा कि लिखित बयान में बताया गया है, यह आदेश वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के कार्यालय को 9 जुलाई, 2003 को प्राप्त हुआ था। लिखित बयान के अनुसार, याचिकाकर्ता प्रभावी

रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। तदनुसार, 8 जुलाई, 2002 से तीन सदस्यों वाली एक समिति जोकि अधिकारी श्री डी.आर. चड्डा, सहायक प्रबंधक (प्रशासन), श्री हरि शंकर प्रसाद, सहायक प्रबंधक (लेखा) और श्री एन.एस. नेगी, सहायक प्रबंधक (हिंदी) को याचिकाकर्ता को उनके स्थायी पते पर सेवानिवृत्ति के आदेश की तामील करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि इन तीन अधिकारियों ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 9 जुलाई, 2002 को याचिकाकर्ता को उसके स्थायी पते, ग्राम नया गाँव, चंडीगढ़ पर 28,275/- रुपये के चेक के साथ आदेश दिया।. यह

प्रतिवादी-एफसीआई द्वारा दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने शिमला में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से बचने के लिए और इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए जानबूझकर वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला (एच.पी.) को इसमें शामिल नहीं किया था। तदनुसार यह दलील दी गई है कि 5 जुलाई, 2002 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) को नई दिल्ली में पारित किए जाने और याचिकाकर्ता की पोस्टिंग के स्थान जोकि शिमला में था, पर भेजे जाने के बाद से इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर कार्रवाई का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने सेवा से परहेज किया और इस तरह उसे नया गांव में आदेश की तामील कराने की आवश्यकता थी, चंडीगढ़ वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा। अपनी दलीलों के समर्थन में, उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य न्यायालयों के कई निर्णयों पर भरोसा किया है। याचिका के गुण-दोष के आधार पर उत्तरदाताओं के रुख पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर याचिका का निपटारा कर रहे हैं।

(7) तथ्यों के आलोक में, जैसा कि दलील दी गई है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमें यह देखना होगा कि क्या इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होगा।

(8) हमने पक्षों के वकील सर्वश्री एस.के.मिधा और अनिल मल्होत्रा को सुना।

(9) भारत के संविधान का अनुच्छेद 226, जैसा कि यह मूल रूप से था, प्रदान करता है कि "प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उन सभी क्षेत्रों के संबंध में शक्ति होगी जिनके संबंध में वह किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, उचित मामलों में किसी भी सरकार सहित, उनके भीतर क्षेत्र निर्देश, आदेश या रिट..." जैसे अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है।

(10) संविधान के बाद की अवधि के पहले वर्षों के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को व्यापक परिप्रेक्ष्य दिया और बताया कि एक उच्च न्यायालय क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर स्थित न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों के संबंध में भी अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह उसका अधिकार क्षेत्र है यदि ऐसा न्यायाधिकरण या प्राधिकरण इस तरह से शक्तियों का प्रयोग करता है जिससे ऐसे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले या व्यापार करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है। इस संबंध में **के.एस. रशीद अहमद** बनाम **इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन, (1) एम.के. रंगनाथन** बनाम **द मद्रास इलेक्ट्रिक ट्राम वेज़ लिमिटेड, (2) और अश्विनी कुमार सिन्हा** बनाम **डिप्टी कलेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एंड लैंड कस्टम्स, शिलांग, (3)** के मामलों में निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है। इसके बाद, **चुनाव आयोग भारत बनाम साका वेंकट सुब्बा राव, (4)** के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने अलग ढंग से फैसला सुनाया कि "संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति अधीन है।" दोहरी सीमा तक कि ऐसे रिट उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्रों से परे नहीं चल सकते हैं और जिस व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है, उसे निवास या क्षेत्र के भीतर स्थान के आधार पर इसके अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। इस निर्णय के कारण संसद को संविधान के अनुच्छेद 226 में खंड (1ए) जोड़कर, संविधान में 15वां संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। संविधान में 42वें संशोधन द्वारा, पहले जोड़े गए खंड (1ए)

को संविधान के अनुच्छेद 226 में उप-खंड (2) के रूप में नामित किया गया था। यह खंड अब इस प्रकार पढ़ता है:-

"खंड (1) द्वारा किसी भी सरकारी प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसके भीतर कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण की सीट या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है।"

(11) तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के अनुसार, एक उच्च न्यायालय उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनके भीतर पूर्ण या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबंधित प्राधिकारी की सीट उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा से बाहर है। संशोधन का उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रिटों की पहुंच के लिए क्षेत्र की चौड़ाई को बढ़ाना था। संशोधन के प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने **तेल और प्राकृतिक गैस आयोग** बनाम **उत्पल कुमार बसु और अन्य, (5)** के मामले में विचार किया था। यह माना गया कि यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 226 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते 'कार्रवाई का कारण', पूर्णतः या आंशिक रूप से, उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ हो।

(12) हालाँकि इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी हमें 'कार्रवाई के कारण' का अर्थ खोजने के लिए खुद को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक, यह विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं द्वारा अच्छी तरह से समझा जा चुका है। शब्द "कार्रवाई का कारण, पूर्णतः या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है" स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 से हटा दिया गया है। **रीड** बनाम **ब्राउन , (6)** में एक फैसले का जिक्र करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने **नवीनचंद्र एन. मजीठिया** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (7)** नामक मामले में कहा कि 'कार्रवाई का कारण' का मतलब हर तथ्य है जिसे वादी के लिए अदालत के फैसले पर अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा, यदि उसका मजाक उड़ाया गया हो। इसमें प्रत्येक

तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य का हर टुकड़ा शामिल नहीं है, बल्कि हर उस तथ्य को शामिल किया गया है जिसे साबित करना आवश्यक है। “यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 226(2) के संदर्भ में भी, सुप्रीम कोर्ट ने 'कार्रवाई का कारण, पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है' अभिव्यक्ति की वही व्याख्या अपनाई थी। इस संबंध में, **राजस्थान राज्य और अन्य** बनाम **स्विका प्रॉपर्टीज और अन्य, (8)** और **ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉम मिशन** बनाम **उत्पल कुमार बसु और ए अन्य, (सुप्रा)** का भी संदर्भ लिया जा सकता है। **राजस्थान राज्य और अन्य (सुप्रा)** के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने **मुल्ला** की सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई 'कार्रवाई के कारण' की परिभाषा पर भरोसा किया, जो कहती है कि "कार्रवाई के कारण' का मतलब हर तथ्य है जो यदि इसका पता लगाया जाता है, तो वादी को न्यायालय के फैसले पर अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा। **तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि "………कार्रवाई के कारण का बचाव पक्ष से कोई संबंध नहीं है, जो कि प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जा सकता है, न ही यह निर्भर करता है वादी द्वारा प्रार्थना की गई राहत के चरित्र पर। यह पूरी तरह से संयंत्र में कार्रवाई के कारण के रूप में निर्धारित आधारों को संदर्भित करता है या दूसरे शब्दों में मीडिया को संदर्भित करता है जिस पर वादी अदालत से अपने पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहता है।

(13) इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभिव्यक्ति 'कार्रवाई का कारण' का अर्थ तथ्यों का वह बंडल है जिसे याचिकाकर्ता को अपने पक्ष में निर्णय का हकदार बनाने के लिए साबित करना होगा। **तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मामले (सुप्रा)** में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होने वाली कार्रवाई के कारण से जुड़ी कुछ महत्वहीन घटना के आधार पर अतिक्रमण करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाएँ जहाँ तक वादी अपनी पसंद या सुविधा से पहुँचता है।

(14) **मुसरफ हुसैन खान** बनाम **भागीरथ ई इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (9)** के मामले में हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि

"अनुच्छेद 226 के खंड (2) के अर्थ के भीतर कार्रवाई का कारण वही होगा।" अर्थ जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है। अभिव्यक्ति 'कार्रवाई का कारण' का एक निश्चित संबंध है। इसका मतलब है तथ्यों का एक बंडल जिसे साबित करने की आवश्यकता होगी।

(15) ऊपर उल्लिखित निर्णयों से उभरे सिद्धांतों के आलोक में, हमें यह तय करना होगा कि क्या इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है?

(16) प्रारंभ में, याचिकाकर्ता ने केवल जिला रोपड़ (पंजाब) में अपने निवास के आधार पर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आहवान किया था, जैसा कि याचिका के पैरा 1 से देखा जा सकता है। इस संबंध में, उन्होंने अपने स्थायी निवास स्थान-नया गाँव, चंडीगढ़ में दिनांक 5 जुलाई, 2002 की नोटिस की सेवा के तथ्य पर भी भरोसा किया है। तदनुसार, प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका को दायर करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए केवल यही दो आधार सुझाए गए हैं। यह विवाद में नहीं है कि आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-1 दिनांक 5 जुलाई, 2002 को नई दिल्ली में पारित किया गया था और क्षेत्रीय प्रबंधक, एफसीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा प्रदान करने के लिए भेजा गया था, जैसा कि देखा जा सकता है। इस आदेश में निहित अनुमोदन. इसी तरह, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को खारिज करने का आदेश नोएडा (यूपी) में भी पारित किया गया था और याचिकाकर्ता की सेवा के लिए शिमला में क्षेत्रीय अधिकारी को भेज दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का निवास और इस आदेश की तामील ही याचिकाकर्ता के लिए इस याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आग्रह करने का कारण रही है। केवल आदेश की तामील, भले ही ऐसा हो, कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं बन सकता। **राजस्थान राज्य (सुप्रा)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल नोटिस की सेवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के अर्थ के तहत कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं है। इस मामले में, प्रतिवादी-कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में था और कंपनी के पास जयपुर शहर में कुछ भूमि थी। विकास योजना के

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उस भूमि के अधिग्रहण के संबंध में राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 52(2) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। कंपनी को कलकत्ता स्थित उसके पंजीकृत कार्यालय में विधिवत नोटिस भेजा गया। जवाब में, कंपनी के प्रतिनिधि विशेष अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने भूमि को मुक्त करने के लिए कंपनी की प्रार्थना को खारिज कर दिया और सिफारिश की कि पूरी भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाए। प्रतिवादी-कंपनी ने बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 52(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की। इस रिट याचिका पर विचार किया गया और राज्य को प्रतिबंधित करने वाला एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया। अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी के पंजीकृत कार्यालय में धारा 52(2) के तहत नोटिस की सेवा कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग थी और रिट याचिका पर विचार करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निवेश करने के लिए पर्याप्त थी। .सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया और माना कि इस प्रश्न का उत्तर कि नोटिस की सेवा अनुच्छेद 226(2) के अर्थ के तहत कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग है, को आक्षेपित आदेश की प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए जो एक को जन्म देता है। कार्रवाई का कारण। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कार्रवाई का कारण न तो पूरी तरह से और न ही आंशिक रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ और इसलिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को प्रतिवादी-कंपनी द्वारा दायर याचिका पर नियम निसी जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक पक्ष को एक सफल बोली लगाने वाले को दिए जाने वाले अनुबंध के बारे में तब पता चलता है जब वह कलकत्ता में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे विज्ञापन को पढ़ता है या निविदा जमा करने के लिए अभ्यावेदन या फैक्स संदेश भेजता है। उक्त विज्ञापन के अनुसार, इसके कलकत्ता कार्यालय से, कलकत्ता उच्च न्यायालय पर कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“xx xxx इसलिए, मोटे तौर पर बोलते हुए, NICCO का दावा है कि कार्रवाई का एक हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ क्योंकि उसे कलकत्ता में विज्ञापन के बारे में पता चला, उसने कलकत्ता से अपनी बोली या निविदा प्रस्तुत की और न्याय की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया। अपने प्रस्ताव की अस्वीकृति के बारे में जानने पर कलकत्ता से। विज्ञापन में स्वयं उल्लेख किया गया था कि निविदाएं नई दिल्ली में ईआईएल को प्रस्तुत की जानी चाहिए; उनकी जांच नई दिल्ली में की जाएगी और निविदाकर्ता को ठेका देने या न देने का अंतिम निर्णय नई दिल्ली में लिया जाएगा। बेशक, अनुबंध कार्य का निष्पादन गुजरात के हजीरा में किया जाना था। इसलिए, केवल इसलिए कि इसने कलकत्ता में विज्ञापन पढ़ा और कलकत्ता से प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कलकत्ता से प्रतिनिधित्व किया, हमारी राय में, कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग बनने वाले तथ्य नहीं होंगे। इसलिए केवल यह तथ्य कि उसने कलकत्ता से फैक्स संदेश भेजा और कलकत्ता में उसका उत्तर प्राप्त किया, कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं होगा, xx xx xx"।

(17) इसी तरह का विवाद नकुल देव सिंह बनाम डिप्टी कमांडेंट मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष उठा, (10) जिसमें अदालत इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति 'का कारण बनेगी' कार्रवाई'। 'कार्रवाई के कारण' की परिभाषा पर ध्यान देने के बाद, जैसा कि मुल्ला की सिविल प्रक्रिया संहिता, 15वें संस्करण में कहा गया है। वॉल्यूम. 1 पृष्ठ 251 पर और पारागांव फाइनेंस बनाम डी.बी. में अपील न्यायालय का निर्णय। ठाकरर एंड कंपनी (11), पूर्ण पीठ ने इस प्रकार व्यवस्था दी है:-

यह तथ्य कि जिस व्यक्ति को राज्य के बाहर सेवा में रहने के दौरान सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उसे उस बर्खास्तगी का परिणाम तब भुगतना होगा जब वह अपने मूल स्थान पर बेरोजगार हो जाएगा, यह

तथ्य नहीं है जो तथ्यों का समूह बनता है। जिससे उनकी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए उनके पक्ष में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हो सके। यह अधिकार उन्हें पहले तब मिला था जब उन्हें राज्य के बाहर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उन्होंने अपना रोजगार खो दिया था। इसी प्रकार, जब उसके द्वारा किसी ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जाती है जो इस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में विलय तब होता है जब अपील खारिज हो जाती है न कि जब अपीलार्थी को आदेश प्राप्त होता है। एक रिट याचिका को कार्रवाई के कारण के एक भाग के रूप में दलील देने की आवश्यकता यह तथ्य है कि उसकी अपील पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई थी, न कि यह तथ्य कि उसे आदेश के बारे में सूचित किया गया था। वह दलील केवल यह दिखाने के लिए प्रासंगिक है कि उसके पक्ष में कार्रवाई का अधिकार कब उत्पन्न हुआ। आदेश की प्राप्ति केवल उसे पहले से अर्जित कार्रवाई के कारण पर कार्रवाई का अधिकार देती है और उसे विरोध में उठाए गए लाच या सीमा की याचिका को पूरा करने में सक्षम बनाती है। किसी कार्यवाही के बड़े अर्थों में परिणाम किसी व्यक्ति को अपने मूल स्थान पर भुगतने पड़ते हैं, यह मानने का आधार नहीं है कि जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मूल स्थान स्थित है, वह sसंविधान का अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने के लिए भी सक्षम है। जब किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है या रैंक में कमी कर दी जाती है, तो उसे परिणाम भुगतना पड़ता है जहां वह प्रासंगिक समय पर कार्यरत था, न कि अपने मूल स्थान पर जहां वह अपनी बर्खास्तगी पर सेवानिवृत्त हो सकता था।

(18) इस पूर्ण पीठ के फैसले को **मुसर्रफ़ हुसैन खान के मामले (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है।

(19) इसी तरह का प्रभाव इस न्यायालय के फैसले का भी रहा है जिस पर उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भरोसा किया है। श्री

अनिल मल्होत्रा ने **गुरनाम सिंह** बनाम **भारत संघ (12)** के मामले में फैसले का हवाला देते हुए आग्रह किया है कि जहां याचिकाकर्ता ने सेवा से बर्खास्तगी के बाद समझौता कर लिया है, वहां केवल नोटिस की सेवा, किसी बर्खास्तगी के आदेश और न्यायिक कार्यवाही को चुनौती देने की कार्रवाई के कारण का हिस्सा नहीं बनती है।

(20) इसी प्रकार, इस न्यायालय ने **बलदेव सिंह** बनाम **भारत संघ माध्यम सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली और अन्य (13)** के मामले में माना कि न्यायालय के पास आयोजित सारांश कोर्ट मार्शल कार्यवाही के संबंध में याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। पुणे और उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता पर तब लगाई गई सजा जब याचिकाकर्ता की इकाई पुणे में तैनात थी। उन्होंने **हरविंदर सिंह** बनाम **भारतीय खाद्य निगम (14)** शीर्षक से इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का भी उल्लेख किया है। यह एक ऐसा मामला था जहां परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। जब जांच की कार्यवाही चल रही थी, याचिकाकर्ता को एक आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिस पर उसने आपत्ति जताई थी। उक्त मामले में याचिकाकर्ता को यह आदेश कपूरथला स्थित उसके आवासीय पते पर प्राप्त हुआ। याचिकाकर्ता एल.टी.सी. पर कपूरथला में उपस्थित था। जिसे विधिवत मंजूरी दे दी गई थी। डिवीजन बेंच ने कहा कि आदेश कर्मचारी के उस पते पर भेजा गया है जहां वह एल.टी.सी. पर था। केवल कार्रवाई का अधिकार प्रदान करेगा और तदनुसार यह माना जाएगा कि न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है।

(21) ऊपर उल्लिखित निर्णयों के मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत याचिकाकर्ता पर एक आक्षेपित आदेश की तामील ही उसके लिए इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा, यह एक

ऐसा मामला है जहां इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर एक प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया था। यह याचिकाकर्ता को तब दिया जाना था जब वह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर सेवा कर रहा था। याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहकर इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत अपने आदेशों की तामील कराने में कामयाब रहा। याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई हर बात को अंकित मूल्य पर लेते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत कोई 'कार्रवाई का कारण या कार्रवाई के कारण का हिस्सा' उत्पन्न हुआ है। याचिकाकर्ता को कार्रवाई का अधिकार हो सकता है जब उसे आदेश दिया गया हो जो कार्रवाई के कारण को लागू करने का अधिकार है। **नकुल देव सिंह के मामले (सुप्रा)** में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह भी देखा कि देश में कहीं और रहने वाले व्यक्ति को सरकार, केंद्र या राज्य या प्राधिकरण या किसी व्यक्ति के आदेश से व्यथित होने पर कानून में कार्रवाई का अधिकार हो सकता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार केवल उस उच्च न्यायालय में लागू किया जा सकता है जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। जैसा कि कहा गया है, कार्रवाई का कारण सरकार या प्राधिकरण की कार्रवाई से उत्पन्न होता है, न कि पीड़ित व्यक्ति के निवास से और संचार की प्राप्ति स्वयं कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्यों के बंडल में एक तथ्य का गठन नहीं करती है। अधिक से अधिक, आदेश या संचार की प्राप्ति ही किसी पक्ष को शिकायत की गई कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारण के आधार पर कार्रवाई का अधिकार देती है। तदनुसार, याचिका का यह तर्क कि नया गांव, चंडीगढ़ या चंडीगढ़ में उनके निवास स्थान पर आदेश की तामील उन्हें इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करने का अधिकार देगी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, आदेश की सेवा ने उसे केवल 'कार्रवाई का अधिकार' दिया, लेकिन 'कार्रवाई का कारण' नहीं दिया। इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत याचिकाकर्ता को कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा उपार्जित नहीं हुआ

है जो उसे इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका को बनाए रखने का अधिकार दे सकता है।

(22) नतीजतन, हमारी सुविचारित राय है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं होगा और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। हालाँकि, हम याचिकाकर्ता पर यह खुला छोड़ते हैं कि वह वर्तमान याचिका में दावा किए गए उचित राहत के लिए उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से संपर्क कर सकता है।

(23) इस मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा